	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-11) की धारा-20 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध मे विभाग द्वारा पूर्व मे प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हे अपने क्षेत्र के लिए आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियुक्त किया हुआ है, उनके समक्ष अंकित क्षेत्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम देने और ओवर टाईम के कार्यो का भुगतान तथा सप्ताहिक अवकाश का मुआवजा नहीं देने संबंधी मामलों की सुनवाई व निर्णय हेतु एतद्द्वारा प्राधिकारी नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	सहायक श्रम आयुक्त, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	बालोतरा जिला
4	उप श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं फलोदी जिला
5	सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली-बहरोड़ जिला
6	उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
7	सहायक श्रम आयुक्त, अलवर	अलवर जिला
8	सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर एवं सलूम्बर जिला
9	सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
10	संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	भरतपुर एवं डीग जिला
11	सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर एवं ब्यावर जिला

राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।